न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– डिक्री 300 सन् 2016
पंजीयन दिनांक :– 01.09.2016

माधवलाल पिता कालु जाति जाट निवासी निलोद तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
–अपीलांट

विरुद्ध

1. मोहनी बाई पत्नि मांगीलाल जाति ब्राह्मण मेनारिया निवासी खरसाण तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
2. मांगीलाल पिता जीतु जाति जाट निवासी निलोद तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
3. मेहताबी बाई पत्नि जीतु जाति जाट निवासी निलोद तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ
4. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ
5. पटवारी हल्का निलोद तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन प्रकरण संख्या 347/2015 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2016

उपस्थित :– 1. दिनेश चन्द दायमा–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. भारत भूषण प्रधान–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2,3 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4

निर्णय **दिनांक :–12.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके क्रयशुदा कृषि आराजीयात मोजा निलोद तहसील कपासन मे अवस्थित होकर खाता सं. 349,399,400,401 एवं 407 मे दर्ज रेकार्ड है। यह कृषि आराजीयात वादपत्र की चरण सं. 1 (अ) से लेकर (य) मे उक्त खातो मे सहखातेदार पुष्पाबाई पिता कालु पत्नि माधव जाति जाट निवासी बुढ के हिस्से की क्रय कर उसने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाई। तथा मौके पर मौखिक विभाजन अनुसार काबिज होकर काश्त कर रही है। विधिक रूप से राजस्व रेकार्ड मे विभाजन नही होने से फसल बोने व लोन लेने मे समस्या रहती है। अतः विधिक विभाजन करवाकर प्रतिवादीगण को वादिया की आराजीयात मे किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट वादिया की ओर से वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली जवाबदावे मे नियत रहते हुए राजस्व लोक अदालत मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने हेतु अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलान्ट को बिना सम्मन नोटिस तामील के जवाबदावे मे विचाराधीन पत्रावली को राजस्व लोक अदालत मे नियत कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। आदेशिका मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की तरह अपीलान्ट प्रतिवादी के हस्ताक्षर नही है। अतः सहमति नही मानी जा सकती है। अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया और न ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया। जवाबदावा पेश नही हुआ। आराजी नम्बर 1804 के सहखातेदार अर्जुन उमेश पिता केशुलाल को व खाता सं. 407 हीरालाल पिता भेरा गाडरी सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया गया। पटवारी हल्का को भी पक्षकार कायम करने से पक्षकारो के कुसंयोजन के आधार पर भी रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नही था। बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत अपरिपक्व पत्रावली मे बिना सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो की पालना किये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन था। राज्य सरकार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट निलोद मे नियत की गई। उक्त पत्रावली बंट्वाडे से सम्बन्धित होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। आदेशिका मे उभयपक्ष की सहमति अंकित होने से आपसी सहमति से पारित निर्णय व डिक्री की अपील नही की जा सकती है। अपील मे अंकित आधार निर्णय से सम्बन्धित नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस मे बताये आधार भी अपील मे दर्ज नही है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 16.04.2015 को वादिया की ओर से अण्डर टेकिंग प्रस्तुत हुई। दिनांक 12.10.2015 को अधिवक्ता का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। उक्त पत्रावली दिनांक 03.05.2016 तक जवाबदावे मे विचाराधीन थी। बिना जवाबदावा बन्द किये बिना साक्ष्य सबुत व बिना लिखित राजीनामे के उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट निलोद मे नियत की गई, जिसमे उभयपक्ष उपस्थित नही होते हुए अपरिपक्व पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 विधिसम्मत होना नही पाये जाने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन हाल भूपालसागर के प्रकरण संख्या 347/2015 रेवेन्यू वाद मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2016 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि जवाबदावा लेकर तनकियात कायम कर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पूर्ण पालना कर तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहें।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर को निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)